

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] No. 09] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण **14**, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

#### रक्षा मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2016

का. नि. आ.10(अ).— निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनी (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 1986 के उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 346 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि केंद्रीय सरकार, उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार करेगी।

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझावों पर ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को निदेशक (भूमि एवं छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली- 110011 को लिखकर भेजे जा सकेंगे।

#### प्रारूप नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनियों में संपत्ति का अंतरण (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **परिभाषाएँ -** (1) इन नियमों में, जब तक कि या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
  - (क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
  - (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु, परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

3879 GI/2016 (1)

संख्या.....

तारीख.....

- 3. सूचनाओं के प्ररूप- अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएँ, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में की जा सकेंगीं।
- 4. **सूचनाओं को तामील करने की रीति –** किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से तामील या प्रस्तुत की जा सकेगी
  - (क) सूचना, ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर ;
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता है तो उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर सूचना को चिपका कर , यदि ऐसा स्थान छावनी के भीतर है तो, सूचना को उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, जिससे यह संबन्धित है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवा कर।
- **5. धारा 316 से 321 के उपबंधों का लागू होना** अधिनियम की धारा 316 से 321 तक के उपबंध इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना को लागू होंगे।

[फा. सं. 14(1)/2016-डी(क्यू एण्ड सी)] मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

### प्ररूप संख्या – 01 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन लोक सूचना

धारा 76 की अपेक्षानुसार कर निर्धारण सूची तैयार करने पर उसकी सूचना (तारीख) ....... को सम्यक रूप से दे दी गई थी। अब, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 76 के अपेक्षानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि मुख्य अधिशासी अधिकारी तारीख ..... से आक्षेपों की सुनवाई प्रारम्भ करेगा। (सूचना के प्रकाशन की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का अंतर होना चाहिए)।

..... छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन व्यक्तिगत सूचना

सवा म,	
विषय: निर्धारण सूची के पुनरीक्षण के संबंध में	
महोदय/महोदया,	
एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की है, जिसकी लोक सूच	नुसार आपको सूचना दी जाती है कि मुख्य अधिशासी अधिकारी ने ना पहले ही (तारीख) को प्रकाशित की जा चुकी है जात है, का निर्धारण र. से बढ़ा कर
	ि निर्धारण और मूल्यांकन पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा
<ol> <li>यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपका कोई आक्षे हुए कि निर्धारण के बारे में आपका विवाद क्या है, लिखित में</li> </ol>	प है तो आप तारीख से पूर्व, यह कथन करते iं आक्षेप करें ।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी (तारीख)	के पश्चात आपसे प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार नहीं करेंगे ।
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर )
निर्धारण/मूल्यांकन के ब्योरे	
1	
2	
3	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/	महोदया,	
	निर्धारण सूची को निम्नलिखित रीति में और नीचे विनिर्दिष्ट आध	ारों पर संशोधित करना आवश्यक हो गया है:-
(क)	नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में १ कर/लोप करके, जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना न	
(ख)		
(ग)	प्रशासन या निर्धारक के कपट, संयोग या भूल के कारण गलत हो	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(ঘ)	पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करने पर बाद से रु. से बढ़कर रु. हो गया है।	
(ङ)	(ङ)के नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में, अधिभोगी का नाम बदल कर क्योंकि कर अधिभोगी द्वारा संदेय है ।	
	यदि उपरोक्त संशोधनों के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए ।	अपना आक्षेप, मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास
	(कथित समय सीमा, सूचना की तारीख से तीस दिन से कम नहीं	होनी चाहिए)
छावनी व	बोर्ड कार्यालय	अधिशासी अधिकारी
संख्या		छावनी बोर्ड
तारीख		(बोर्ड की मुहर)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 82 के अधीन सूचना

सेवा में,	
मुख्य अधिशासी अधिकारी	
छावनी बोर्ड	
महोदय/महोदया,	
मैं/हम छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) र्क मैंने/हमने छावनी बोर्ड संख्यातारीख तारीख द्वारा दी गयी मंजूरी के अनुसरण में, त पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा कर लिया	तारीख कोगली/सड़क पर स्थित प्लॉट संख्या
(कथित समय सीमा भवन के पूरा होने या अधिभोग की तारीख से	ा 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी पहले हो )
तारीख	
	o <del></del>
	भवदीय,
	हस्ताक्षर नाम
	पता
प्ररूप संख्य	π - 05
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का	41) की धारा 86 के अधीन सचना
,	,
सेवा में,	
, मुख्य अधिशासी अधिकारी	
छावनी बोर्ड	
विषय : के नाम से ज्ञात संपत्ति को खाली करने की सृ	चना
महोदय/महोदया,	
मैं/हम छावनी अधिनियम 2006 की धारा 86 के अधीन भाग) खाली है और तारीख से उससे कोई कृपया इसे नोट करें। तारीख	। सूचना देती/देता हूं/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति* (संपत्ति का हे किराया (भाटक) नहीं मिल रहा है ।
(IIXIS	भवदीय,
	•
	हस्ताक्षर नाम
	पता
(*यहाँ सम्पत्ति के खाली भाग की विशिष्टियों का उल्लेख करें )	

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना

वा में,
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड
वेषय : के नाम से ज्ञात संपत्ति का पुनः अधिभोग
होदय,
मैं/हम छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना देती/देता हूं/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति*/(सम्पत्ति के भाग) का नाम तारीख 20  से पुनः अधिभोग में से लिया गया है ।
कथित समय सीमा, सम्पत्ति के पुन: अधिभोग से 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए)
······································
ारीख
भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम
पता

(\*यहाँ सम्पत्ति के भाग का उल्लेख करें )

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 91 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय	'महोदया,
सूचीबद्ध	आपके द्वारा चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में देय रु. की रकम अदा न करने के कारण नीचे ; माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) का तारीख को आपसे अभिग्रहण कर लिया गया था ।
में असप	और उक्त माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) पर चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में रु. जमा करने जल रहे हैं ।
माल/या	अत:, अब मैं, अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 का 41) की धारा 91 की उपधारा (3) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि नीचे सूचीबद्ध न(यानों)/पशु(पशुओं) की बाबत चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में रु. की रकम वसूल करने के कु माल माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) को तारीख को नीलामी द्वारा बेचा जाएगा ।
	यह भी ध्यान रखें कि रु. की रकम के अतिरिक्त उक्त माल माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) के ण, अभिरक्षा या बेचने के कारण हुआ व्यय भी आपसे वसूल किया जाएगा, यदि उक्त रकम और व्यय, नीलामी द्वारा हु आरंभ से पूर्व आपके द्वारा अदा नहीं किया जाता है ।
छावनी	बोर्ड कार्यालय
संख्या .	
तारीख.	भवदीय,
	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
	माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) की सूची
1	
2	
3	
4	

#### प्ररूप संख्या - 08 छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन सच

छावना आधानयम, 2006 (2006 का 41) का धारा 116 का उपधारा (1) के अधान सूचना
सेवा में,
महोदय/महोदया,
आपके अधिभोग में नाम से ज्ञात इमारत/भूमि के कर दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वार्षिक मूल्य को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जानकारी लेना आवश्यक हो गया है ।
अत: अब मैं अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी आपसे मांग करता हूं कि इस
सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर नाम से ज्ञात सम्पत्ति के बाबत दूसरी ओर दिये गए प्ररूप में आवश्यक सूचना दें । 15 दिन के अंदर सूचना देने में असफल रहने या ऐसी सूचना देने की दशा में, जो आपके सर्वोतम ज्ञान या विश्वास
के अनुसार सही नहीं है, आप उक्त अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के अधीन  जुर्माने से, जिसे 5000 रुपये तक
बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होंगे और इमारत/भूमि का कर , दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वार्षिक मूल्य उतना
विनिश्चित किया जाएगा, जितना मुख्य अधिशासी अधिकारी उचित समझता है । इस प्रकार किया गया निर्धारण अंतिम होगा।
ावानाश्चत किया जाएगा, ाजतेना मुख्य आधशासा आधकारा उाचत समझता है । इस प्रकार किया गया निधारण आतम हागा।
छावनी बोर्ड कार्यालय
संख्या
तारीख
भवदीय, हस्ताक्षर
रुस्ताबार नाम
पता
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 116 के अधीन दी जाने वाली जानकारी
1. मकान संख्या, सड़क और परिक्षेत्र
2. स्वामी का नाम और पता
3. उत्तराधिकारी/क्रय की तारीख
4. सम्पत्ति के लिए संदत्त की गयी कीमत
5. (क) कच्चा या पक्का (ख) कवर्ड क्षेत्र
(ख)     कवर्ड क्षेत्र 6. मंजिलों की संख्या
<ol> <li>प्रत्येक मंजिल में कमरों की संख्या, जिसके अंतर्गत भंडार, रसोई और स्नानग्रह भी हैं और उनकी दिशाएँ।</li> </ol>
8. (क) आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए
(ख) इमारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं कारख़ाना चलाने के लिए किया
जा रहा है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरे ब्योरे दीजिए।
9. यदि कोई भाग किराए पर दिया गया है तो किरायेदारों के नाम, प्रत्येक को किराए पर दिया गया आवास और मासिक किराया ।

- 10. क्या मकान में
  - (क) बिजली लगी है।
  - (ख) घरेलू पानी कनेक्शन है ।
  - (ग) स्वच्छ शौचालय है।

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

11. क्या मकान को राज्य सरकार के सम्पत्ति कर के लिए निर्धारण किया गया है। यदि हाँ तो, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा नियत निर्धारण की रकम कितनी है और निर्धारण किस तारीख से लागू है।

स्वामी/अधिभोगी/किराएदार के हस्ताक्षर

### प्ररूप संख्या - 09 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय,	महोदया,
	यह देखा गया है कि :
*(1)	आपकी इमारत/भूमि # की हौदी न्यूसेंस कर रही है और उसे बंद रखना आवश्यक है।
	आपकी इमारत/भूमि में गंदगी के इक्कट्टा करने के पात्र को साफ हालत में नहीं रखा गया है आपर्क इमारत/भूमि में मल इक्कट्टा हो रहा है।
	आपकी इमारत / भूमि पर प्राइवेट शौचलय /मूत्रालय/हौदी/स्नानघर से पानी या किसी दुर्गंधयुत्त ा रिसना या बहना पड़ोसियों और गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस पैदा कर रहा है।
	आपकी इमारत/भूमि # में कचरा या दुर्गंधयुक्त पदार्थ इक्कठा होने दिया गया है, इसके नीचे य ने दिया गया है।
 को हटा	अत:, अब मैं, अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम 2006 र्क 36 के खंड (क) के उपखंड** के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति वे दिन के अंदर उस हौदी को बंद कर दे/गंदगी को इक्कठा करने के पात्र को साफ हालत में रखें/इक्कठा हो गए मल् दें/ नित्य के गंदे पानी को सार्वजनिक स्थान में बहना रोक दें या पक्की हौदी की व्यवस्था करें। उचित रूप से ढकने की करें/मरम्मत करें/ कचरे को हटाएँ/निर्मल करें।
	बोर्ड कार्यालय
ताराख.	 मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर )

(\*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।) #भवन या भूमि के ब्योरे दें। \*\*यहां धारा 136 के खंड (क) की संबन्धित उपधारा का उल्लेख करें।

## प्ररूप संख्या - 10 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (ख) खंड (ग) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/म	महोदया,
	यह देखा गया है कि :
	आपकी इमारत/भूमि # से सार्वजनिक नाली में जाने वाली नाली का बनाना या उसमे परिवर्तन किना आवश्यक है ।
	आपके नियंत्रण में की नाली साफ नहीं है/नाली की मरम्मत आवश्यक है/नाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए/नाली ो हालत में रखना आवश्यक है ।
के खंड* ( नाली में	अत: अब मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 136 ख)/खंड* (ग) के अनुसरण में सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर सार्वजनिक जाने वाली, उक्त नाली को बनाने या उसके परिवर्तन करने रोकने/साफ करने/निर्मल करने/इसकी मरम्मत करने/उसे लत रखने की सूचना देता हूं।
संख्या	ोर्ड कार्यालय 
ताराख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
	ा भूमि के ब्योरे दें ।
*जो आवः	श्यक न हो उसे काट दें ।

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 137 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	<del>,</del>	
महोदय/	प्र/महोदया,	
	छावनी बोर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक नाम से ज्ञात संपत्ति में स्थित कुआं/तालाब/जलाशय/रि है, न्यूसेंस हो रहा है और मच्छरों के प्रजनन का स्थान होना संभव है ।	स्वास्थ्य अधिकारी की राय में आपकी नेस्टर्न/पात्र जिसमें पानी जमा किया जाता है/इक्कठा
	अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधि 137 की उपधारा (1) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस आं/तालाब/जलाशय/सिस्टर्न/पात्र को भर दें/ढक दें ।	
(प्राधिक	करण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख	)
(#संपत्ति	त्ते का ब्यौरा)	
	ो बोर्ड कार्यालय	
	······································	भवदीय,
		गुख्य अधिशासी अधिकारी 
		छावनी बोर्ड
		बोर्ड की मृहर)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 138 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
	में ज्ञात है शौचालय/मूत्रालय/हौदी	मित्वाधीन/अधिभोगाधीन भूमि/इमारत/मकान में, जो ो/धूलिभांड/गंदगी, मल या कचरे के पात्र/ अतिरिक्त
	सरण में, आपको सूचना देता हूँ ी	अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम कि आपके उक्त स्वामित्वाधीन भूमि/इमारत/मकान में
(यहां शौचालय/मूत्र	 त्रालय/हौदी आदि की रीति को विनिर्ा	र्दिष्ट करें)
(# संपत्ति का ब्यौरा)		
छावनी बोर्ड कार्यालय		
संख्या		
तारीख		भवदीय,
		मुख्य अधिशासी अधिकारी
		छावनी बोर्ड
		(बोर्ड की महर)

## प्ररूप संख्या - 13 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 139 के अधीन सूचना

सेवा में,	
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
महोदय	महोदया,
	मैं(यहां स्थापना का नाम दें) के नियोजक की हैसियत से छावनी
अधिनिः	गम, 2006 की धारा 139 के अधीन आपको सूचना देता हूँ कि मैं छावनी में स्थित उक्त स्थापना
(स्थापन	ा का नाम) से कर्मचारियों के रूप में त कर रहा हूँ ।
स्थान	
तारीख	
	भवदीय,
	हस्ताक्षर नाम
	पता
	प्ररूप संख्या - 14
	त्ररूप संख्या - 14 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 140 के अधीन सूचना
	श्रायमा जावामयम, 2000 (2000 का का) का वारा 140 के जवाम सूर्यमा
सेवा में,	
महोदय	भहोदया,
	यह देखा गया है कि :
*(1)	आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय, इसके बाद सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में नहीं

लाया जाना चाहिए;

*(2)	आप जो प्राइवेट शौचालय / मूत्रालय बना रहे हैं/मरम्मत करा रहे हैं वह नहीं बनाया जाना चाहिए/  उसकी मरम्मत		
-	जानी चाहिए, जब तक कि मुख्य अधिशासी अधिकारी या मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी		
-	ोर्ड के निरीक्षण पदाधिकारी के नाम का उल्लेख करें) उसका निरीक्षण नहीं कर लेता और प्रमाणित नहीं कर देता कि		
	चालय / मूत्रालय छावनी बोर्ड द्वारा तारीख 20 को अनुमोदित आदर्श प्लान		
के अनुर	प्प है । (जिसकी प्रतियाँ छावनी बोर्ड के कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं)		
*(3)	आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय सार्वजनिक न्यूसेंस है ।		
*(4)	आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन शौचालय		
	(क) वहाँ से जाने वाले व्यक्तियों/पड़ोस में रहने वाले निवासियों को नज़र आता है।		
	(ख) नीचे विनिर्दिष्ट रीति से साफ रखने की आवश्यकता है।		
*(5) आवश्य	आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन नाली ढकी हुई नहीं है और उसे निम्नलिखित/विनिर्दिष्ट रीति से ढकने की कता है।		
(यहाँ ढ	कने की उपरोक्त रीति विनिर्दिष्ट करें)		
अत∴ अ	ाब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम 2006		
	रा 140 के खंड \$के अनुसरण में आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन भूमि/इमारत** में प्राइवेट		
	य/मूत्रालय/नाली		
	· ·		
इसक प	श्चात विनिर्दिष्ट रीति से बनाई जाए/मरम्मत की जाए/हटा दी जाए/बंद कर दी जाए/साफ कर दी जाए/ढक दी जाए।		
 छावनी	 बोर्ड कार्यालय		
तारीख.			
	भवदीय,		
	हस्ताक्षर		
	नाम		
	पता		
<b>(</b> * जो ३	गावश्यक न हो उसे काट दें।		
•	खंड विनिर्दिष्ट करें		
	रत या भूमि का विवरण दें।)		
ξ			
	प्ररूप संख्या - 15		
	छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 142 की उपधारा (3) के अधीन सूचना		
सेवा में,			
राजा म,			
महोदय	/महोदया,		

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर छावनी बोर्ड, की यह राय है की नीचे सारणी में उपदर्शित ...... इमारत (इमारतों) के निवासियों/पड़ोसी/के बीमार होने का जोखिम है/लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

और, बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त इमारत/इमारतों को तत्काल हटाना आवश्यक है। अत:, अब मैं, ...... छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 142 की उपधारा (3) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ, कि इस सूचना की प्राप्ति के ...... दिनों के अंदर उक्त इमारत/इमारतों को हटा दिया जाए । (प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या ...... तारीख .....) छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या ..... तारीख..... मुख्य अधिशासी अधिकारी ..... छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर ) सारणी (यहाँ संबन्धित इमारत (इमारतों) का विवरण दीजिए)। प्ररूप संख्या - 16 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन सूचना सेवा में. महोदय/महोदया, बोर्ड की राय में ...... इमारत/इमारतों या इसके भाग, जो आवासगृह के रूप में काम में लाई जा रही हैं, इतनी अतिसंकृलित है कि उसमे रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। अत:, अब मैं, ..... छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम 2006 की धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि उक्त इमारत से\*...... तक उसके निवासियों/किराएदारों/अन्य निवासियों की संख्या को घटा कर उस अतिसंकुलन को दूर कर दें। उपर्युक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर आप उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन के दायी होंगे । (प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या ...... तारीख ...... छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या .....

भवदीय.

तारीख.....

मुख्य अधिशासी अधिकारी	
छावनी बो	र्ड
(बोर्ड की मुहर)	

(\*इसके पश्चात उन रहने वाले निवासियों/किराएदारों/अन्य व्यक्तियों के ब्यौरे दे जिनकी संख्या में कमी की जानी है )

### प्ररूप संख्या - 17 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	,	
महोदय	/महोदया,	
		स्थित आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत/इमारतें र्जर/अस्वास्थ्यकर दशा में है और उसमें, निम्नलिखित मरम्मत/परिवर्तन करने की
आवश्य	कता है :	
	(1)	
	(2)	
	(3)	
	(4)	
		नी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर
(प्राधिक	जरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)
	-2 - 2 -	
	बोर्ड कार्यालय	
		भवदीय,
		मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
		छापना बाड (बोर्ड की मृहर)
		( 36 )

[भाग II – खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण <u>17</u>

## प्ररूप संख्या - 18 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,
महोदय/महोदया,
आपके स्वामित्व / अधिभोग के अधीन भूमि/इमारतगंदी/अस्वास्थ्यकर हालत में है। * पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस है/ * में नागफनी/मोथा घास/हानिकर वनस्पति की अधिकता है ।
अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा 145 कि उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर आपके स्वामित्व/अधिभोगी के अधीन भूमि/इमारत/इमारतों की सफाई करें, अंदर से/बाहर से चूने की सफेदी करें/साफ और समुचित हालत में रखें।
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या तारीखभवदीय,
मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)
(* जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)
प्ररूप संख्या - 19 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 147 के अधीन सूचना
<u>सूचना</u>
इस इमारत (यहां इमारत के ब्यौरे दें) के हर स्वामी या अधिभोगी को सूचित किया जाता है कि उक्त पूरी इमारत या उसकाभाग मानव आवास के लिए अनुपयुक्त है। अत: जब तकधान छावनी बोर्ड उसे ऐसे प्रयोग के लिए उसे उपयुक्त घोषित नहीं करता तब तक आप उसको निवास के लिए काम में नहीं लाएँगे।
(प्राधिकरणः छावनी बोर्ड संकल्प संख्यातारीख)

छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
प्ररूप	प संख्या - 20
छावनी अधिनियम, 2006 (200	6 का 41) की धारा 148 के अधीन सूचना
S	
<del></del>	
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
महादय/महादया,	
गर्न नेवा गुगा है कि शामके स्वामिक्त गए शिक्सी	ग के अधीन उद्भित भूमि/इमारत में अनिष्टकर/ झाड़-झंखाड़ हो गया
यह देखा गया हाक आपक स्थानित्य या आधानार है जो पड़ोस के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिब	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 at 1817 h h h a 171 - a 171 a 171 - a 171 a 171	
2, 0.2.52	
-	अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की
धारा 145 कि उपधारा (1) के अनुसरण में आपकादिनों के अंदर साफ कर दें और हटा दें।	सूचना देता हूँ कि उक्त भूमि/भवन से उक्त झाड़– झंखाड़ को
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	Han arekoned arekend
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
	( 36 )

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 150 के अधीन सूचना

सवा म,	
महोदय/महोदया,	
आपके स्वामित्व/प्रभार के अधीन	न कब्रिस्तान/शमशान के बारे में, की दशा, प्रबंध उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है । (यहां	
	ं विनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी कि हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
	करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उक्त
कब्रिस्तान/शमशान के बारे में अपेक्षित जा	
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
	प्ररूप संख्या - 22
काननी अधिका	ाम, 2006 (2006 का 41) की धारा 158 के अधीन सूचना
	ान, 2000 (2000 का 41) का बारा 130 के अवान सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	ते ने यह प्रमाणित किया है कि संक्रामक/सांसर्गिक् (रोग का
नाम) रोग के फैलने	का कारण आपके द्वारा छावनी बोर्ड में दूध के प्रदाय का माना जा सकता है ।
अत: अब मैं, छा	वनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
-	करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति केदिन के अंदर मुझे अपने सभी ग्राहकों
के नाम और पतों की विस्तृत और पूरी सून	ची भेज दें जिससे कि उन व्यक्तियों का, जिन्हें आपने दूध बेचा है, पता लगाना संभव
हो सके ।	
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)

कावनी अधिनियम 2	प्ररूप संख्या - 23 2006 (2006 का 41) की धारा 159 के अधीन सूचना
स्रोवा में,	.000 (2000 th +1) th are 100 to said Quit
महोदय/महोदया,	
स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित	कर दिया है कि, संक्रामक/सांसर्गिक रोग का फैलना
निर्वादित करने की दृष्टि से(रोग	का नाम) आपके ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है;
कि धारा 159 अनुसरण में आपको सूचना देता	बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी को, 'और अन्य चीज़ें आप धोते हैं या इस सूचना की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छः न्तृत और पूरी सूची दी जाए।
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या तारीख	भवदीय,
	, , , , ,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
	प्ररूप संख्या - 24
छावनी अधिनियम. 2	2006 (2006 का 41) की धारा 162 के अधीन सूचना
सेवा में,	
 महोदय/महोदया,	
स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्ट दी दै कि छावनी मे	Ť

- आपकी डेरी से प्रदाय किए गए दूध के उपभोग से \*(क)
- आपके द्वारा कपड़ों या अन्य चीजों की धुलाई/कपड़ों या चीजों की ....... (स्थान का नाम) पर धुलाई के \*(ख) काम में लाई गई प्रक्रिया से संक्रामक या सांसर्गिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संभव है।

अत:, छावनी अधिनियम, 2006 की ध	ारा 162 के खंड के अनुसरण में,छावनी
बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से निर्देश	ा देता हूँ कि, जब तक आगे सूचना न दी जाए
*(क) आपकी डेरी से किसी व्यक्ति को	दूध का प्रदाय नहीं किया जाना चाहिए ।
` '	(स्थान के नाम) पर इस प्रयोजन के लिए अपनाई गयी रीति में अर्थात
कपड़ों/चीजों की धुलाई नहीं र्व चाहिए।	ो जानी चाहिए/कपड़ों/चीजों की धुलाई की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
(*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)	
	प्ररूप सं - 25
छावनी ः	अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
की	ो धारा 168 के अधीन सूचना
सेवा में,	
,	
	·········
महोदय/महोदया,	
बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रो	ाग फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए आपकी इमारत/इमारत के किसी भाग
की सफाई और विसंक्रामण/ इमारत के फर्श/इमारत	त की चीजों को हटाना आवश्यक है;
अतः मैं, छावनी बोर्ड का	मुख्य अधिशासी अधिकारी होने की हैसियत से आपको छावनी अधिनियम,
2006 की धारा 168 के अनुसरण में इस सूचना व	तो प्राप्ति के दिन की अवधि के अंदर नीचे विनिर्दिष्ट इमारत/इमारत
के भाग की सफाई/विसंक्रामण करने/भवन के फर्श/	भवन की चीजों को हटाने की सूचना देता हूं।
	······································
(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	,
(प्राधिकरण: छावना बाड सकल्प संख्या	·
छावनी बोर्ड कार्यालय	भवदीय,
·	मुख्य अधिशासी अधिकारी स्वयंत्री कोर्न
संख्या	छावनी बोर्ड (नोर्न की सम्बर्ध)
दिनांक	(बोर्ड की मुहर)

### प्ररूप सं - 26

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 169 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	<del>} } }                                </del>
बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रोग स्थित आपके स्वामित्व वाले सायबान/झोपड़ी * और उसकी सामग्री व	
	•
अतः, मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी 2006 की धारा 169 के अनुसरण में सूचना देता हूं कि आप इस सूपूर्वोक्त *सायबान/झोपड़ीऔर उसकी सामग्री को नष्ट कर दें।	
(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख	)
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
प्ररूप सं - 2	?7
छावनी अधिनियम, 2006	ं (2006 का 41)
की धारा 169 की उप-धारा (	2) के अधीन सूचना
सेवा मे,	
महोदय/महोदया,	
बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, मेरा समाधान हो गया है वि	ҕ <sup>∗</sup> संक्रामक/सांसर्गिक रोग फैलना
निवारित करने के प्रयोजन के लिए में स्थित, आप	के स्वामित्व/अधिभोग वाली सायबान/झोपड़ी* को तत्काल
नष्ट करना आवश्यक है:	

अतः, अब, मैं, ......छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 169 की

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	कि आपक स्वामित्व/अधिभाग वाला उक्त सायबान/झापड़ा े तुरत नष्ट आपके असफल रहने की दशा में, इसे बोर्ड इस सूचना की प्राप्ति के
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	अध्यक्ष
सं	छावनी बोर्ड
दिनांक	(बोर्ड की मुहर)
(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)	
( <i>**</i> यहाँ अवधि <sup>३</sup>	का उल्लेख करें, जो कि 2 घंटे से कम न हो)
	प्ररूप संख्या - 28
छावनी अधि	नियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 176 की उप	धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
अधोहस्ताक्षरी की राय है कि(अन्य स्थान ) के पानी को यदि पीने के काम में लाया ग	. में स्थित आपके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कूप/तालाब ।या तोंरोग फैलने का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा।
अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के	मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
(2006 का 41) की धारा 176 की उपधारा (1) के ख	ाण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप इस सूचना की

प्राप्ति की ता	रीख से	* *घंटे/दिन के अन्दर, उक्त कूप/तालाब/ (अन्य स्थान) से जनता को पानी
का प्रयोग क	रने/रोकने के लिए निम्नि	नेखित कदम उठाएं।
(यहां उठाए	जाने वाले उपायों का वि	वरण दें)।
(1)		
(2)		
(3)		
		भवदीय,
छावनी बोर्ड	कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
		छावनी बोर्ड
	 । हो उसे काट दें।)	(बोर्ड की मुहर)
( «	. (6. 2	
		प्ररूप संख्या - 29
		छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
		की धारा 177 के अधीन सूचना
सेवा में,		
महोदय/महो	ादया.	
	,	की मृत्यु संक्रामक/सांसर्गिक रोग से
हो गयी है।		
		छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
		) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूंः
*(क) उसे	Ť	शव गृह ले जाएं।
*(ख) शव को हटाएं।	न को	शवगृह पर, *दफनाए जाने/जलाए जाने/ले जाने के प्रयोजन के लिए, शव

भवदीय, छावनी बोर्ड कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी संख्या .... ..... छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर) तारीख ..... (\*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।) प्ररूप संख्या - 30 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 182 की उपधारा (1) के अधीन सूचना सेवा में. महोदय/महोदया, यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि आप ...... संक्रामक/सांसर्गिक रोग से पीडित हैं: अतः, अब मैं,......के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 182 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप ...... (तारीख) को ...... बजे (समय) चिकित्सा परीक्षा के लिए हाजिर हों। आप, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अस्पताल/औषधालय से नहीं जाएंगे। भवदीय. छावनी बोर्ड कार्यालय स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संख्या ..... तारीख ..... ..... अस्पताल

(मुहर)

## प्ररूप संख्या - 31 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 190 के अधीन सूचना

सेवा में,					
महोदय/	′महोदय	т,			
	आपके	स्वामित्व/नियंत्रणाधीनर्	स्थित लोक जल प्रदाय के	त्र ह स्रोत, (कूप आदि का र	नाम) जिनका
पानी पी	ने के प्रय	योजनों के काम में आता है:-			
	*(क)	अच्छी हालत में नहीं हैं/से गाद/कचरा/सड़ी ग	ली पत्त्यां आदि की	सफाई नहीं	की
गई हैं,					
	*(ख)	को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संदूषण से बचाए रर	बा जाना चाहिएः-		
	*(ग) प	गानी पीने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त है,			
	अतः, ः	अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अ	धिशासी अधिकारी की है	सियत से, छावनी अधिर्ा	नेयम, 2006
की धार	T 190 वे	ь अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं:			
		ू ूर्वोक्त *कूप/जल प्रदाय को अच्छी हालत में ब	। नाए रखें/में से गाद/कचर	त/सड़ी गली पत्तियों को	`साफ करे।
	*(ख)	पूर्वोक्त कूप/जल प्रदाय को प्रदूषित होने से ऐस			
	( )	,	,	`	
	(प्रदषप	ग से बचाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली री	ति यहां विनिर्दिष्ट करें)।		
	*(ग)	लोक साधारण की उस कूप/जल प्रदाय वे		रने के लिए सूचना	की प्राप्ति के
		दिन के अन्दर नीचे विनिर्दिष्ट	रीति से पहुंच	निवारित करने के उपाय	<sup>·</sup> करें।
		(यहां निवारित करने की रीति विनिर्दिष्ट करें	)		
			भवदीय		
		2			
छावनी । संख्या		योलय 	मुख्य अधिशासी अधिक छार		
			(बोर्ड की मुहर		
(*जो आ	वश्यकः	न हो, उसे काट दें।)			

[भाग II – खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

### प्ररूप संख्या - 32

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 192 के अधीन सूचना

सेवा में	· ,	
महोदय	ा/महोदया,	
आपूर्ति	यह प्रतीत होता है कि, आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली नहीं है,	इमारत/भूमि में शुद्ध जल की समुचित
 व्यक्तिय	अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी 192 के अनुसरण में आपको उस इमारत/भूमि के स्व इमारत/भूमि में नीचे विनिर्दिष्ट आकार और गों/उक्त भूमि में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए हल प्रदाय का स्रोत विनिर्दिष्ट करें) से जल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर्	ामी/अधिभोगी के रूप में सूचना देता हूं कि किस्म की संचार पाइप और उक्त भवन के दखलकार (यहां
 (यहां स	मंचार पाइपों के आकार और किस्मों की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें)	I
		भवदीय,
छावनी	बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या		छावनी बोर्ड
तारीख		(बोर्ड की मुहर)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 195 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

धिकारी
ावनी बोर्ड
5 के खण्ड (क) के अनुसरण में भूमि/भवन
ने की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड लों/अन्य मरम्मत कार्य न करने के कारण उक्त भूमि/भवन में जल की
ला/अन्य मरम्मत याय न करन क कारण उत्त मूमि/मयन म जल का
भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम
पता

## प्ररूप संख्या - 34 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 195 के खण्ड (ग) के अधीन सूचना

सेवा मे	Ė,				
महोदय	प/महोदया,				
आपने,	_				
(ক)	अपने	स्वामित्व/दखल	के	अधीन	भूमि/इमारत की बाब्त
जलकर	ए/जलदर/प्रभ	मार**			को अदा करने में उपेक्षा की है, और आपको बिल दिए जाने की
तारीख	ा से	दिन से	अधिक व	की अवधि बी	त गई हैं,
लिए ब	बोर्ड के अधि				(ख) के अधीन यथा प्राधिकृत परीक्षा/जांच करने के प्रयोजन के तारीख को अपने स्वामित्व/दखल के अधीन रत किया,
	अपने स्व ोग/अपव्यय	किया है।			भूमि/इमारत में जानबूझकर/उपेक्षा से जल का
 (घ)	अपने स्व				भूमि/इमारत में जल संकर्म से जल प्रवाहित करने
वाले म	गिटर/पाइप/	टोंटी को जानबूझकर/	उपेक्षा से	क्षतिग्रस्त वि	त्या है/नुकसान पहुंचाया हैं,
(ड)	आपके स्	वामित्व/दखल के अर्ध	ोन		भूमि/इमारत के जल प्रदाय का कनेक्शन जिन
नलों, त	टोंटियों, फि	टिंगों से है, मरम्मत वे	<sub>लायक</sub>	नहीं है और	उसके कारण जल की बरबादी हो रही है।
**प्रभा	रों की किस्प	म विनिर्दिष्ट करें।			
	अतः, अ	ब मैं,	छावनी ब	बोर्ड के मुख्य	अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
की धा	रा 195 के	खण्ड (ग) के अनुसरण	में आप	को सूचना देत	ा हूं कि इस सूचना की प्राप्ति केदिन
की अव भवदी		र पूर्वोक्त भूमि/इमारत	ा के जल	प्रदाय को बन	द कर दिया जाएगा/काट दिया जाएगा।
छावर्न	ो बोर्ड कार्या	लिय			 मुख्य अधिशासी अधिकारी
					छावनी बोर्ड
तारीख	Г				(बोर्ड की मृहर)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 242 के अधीन सूचना

सेवा में,	
मुख्य अधिशासी अधिकारी,	
छावनी बोर्ड	
	धारा 242 के अनुसरण में, आपको सूचित किया जाता है कि, मैंने/हमने, बोर्ड के
सकल्प सताराख दी गई मंजूरी के अनुसार	/आपके पत्र सं तारीख द्वारा नामक इमारत को बनाने/पुनः बनाने का काम पूरा कर लिया है।
कृपया इसे नोट कर लें।	
(यह सूचना पक्षकार द्वारा इमारत को बना	ाने/पुनः बनाने के 30 दिन के अन्दर दी जानी चाहिए)
	भवदीय,
	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
स्थान:	
तारीख:	

## प्ररूप संख्या - 36 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,			
महोदय/महोदया,			
यह विचार	किया गया है कि, आ	पके स्वामित्व में/दखल में/पट्टे	पर लिए गए, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत क
(जिसे इसके पश्चात्	उक्त इमारत कहा गया	है) बनाया जाना/पुनःबनाया	। जाना छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) र्क
धारा 247 की उपधा	रा (1) के अधीन अपर	राध है,	
(2006 का 41) की इमारत का बनाया ज	धारा 248 की उपध	ारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों । भाग ढ़हा दिया जाय और	अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देता हूं कि उत्त उक्त भवन को उक्त अनुसूची
इमारत का नाम	इमारत का	अधिनियम की	इमारत के ढ़हाने
इसारत का नाम	अवस्थान	धारा 247 के	और पुनः बनाए
		उल्लंघन में स्वामी/	जाने के बारे में
		दखलकार/पट्टेदार	विनिर्देशन
		द्वारा प्रारम्भ किए गए संनिर्माण के ब्यौरे	
(1)	(2)	(3)	(4)
(प्राधिकरणः छावनी	बोर्ड के संकल्प सं	तारीख	जहां स्थान सिविल क्षेत्र से बाहर है)
			भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्याल	य		 मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या			नुख्य जावसासा जावयगरा छावनी बोर्ड
तारीख			(बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 37 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सवा म,				
महोदय/महोदया,				
कमान के मुख्य	समादेशक अधि	कारी ने, अपने आदेश सं .	तारीख द्वारा, छावनी	
अधिनियम, 2006 (2006	3 का 41) की धा	रा 248 की उपधारा (2) के	अधीन जारी किए गए बोर्ड के उस आदेश को निलंबित	
•	बोर्ड ने नीचे की	` '	 (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है)	
और, उक्त इमारत	त के उक्त* बनाए	जाने/पुनः/बनाए जाने को रो	किना आवश्यक है,	
अतः, अब मैं,	छा	वनी बोर्ड के मुख्य अधिशार्स	ो अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006	
		· ·	का प्रयोग करते हुए, आपको उक्त इमारत को* बनाया	
जाने/पुनः बनाए जाने को	रोकने/उक्त इमा	रत को उक्त अनुसूची के स्तम्	भ (4) के विनिर्दिष्ट रीति में ढ़हाने/परिवर्तन करने/पुनः	
परिनर्माण करने की सूचन		<b>.</b>	.,	
* जो आवश्यक न हो, उसे	काट दें।			
		अनुसूची		
इमारत का नाम	इमारत का	स्वामी/ दखलकार	कमान के मुख्य-	
	अवस्थान	पट्टेदार द्वारा	समादेशक अधिकारी द्वारा	
		प्रारम्भ किए गए	सुझाए गए अपांतरणों के	
		संनिर्माण के ब्यौरे	अनुसार यह रीति जिसमें	
			इमारत को ढाना/	
			परिवर्तन करना/पुनः	
			बनाया जाना चाहिए।	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय	प्रावनी बोर्ड कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी			
संख्या			छावनी बोर्ड	
तारीख				
			(बोर्ड की मुहर)	

# प्ररूप संख्या - 38 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 252 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा	के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं को जोड़ा
है/सनिर्माण किया है,	
(1)	
(2)	
` ´ (3)      (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें)	
(4)	
अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के म् 2006 (2006 का 41) की धारा 252 के अनुसरण में, आपको स् अन्दर पूर्वोक्त जोड़े गए भाग/संरचना/अधिक्रमण को ढा देना चार्	
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	 मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावना बाङ कायालय संख्या	मुख्य आवशासा आवकारा छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करर्त **जो आवश्यक न हो, उसे काट दें)	ो है।

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 253 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	ज्ञा के बिना, स्थान में ानाल, नाली पुलिया, जल सरपी या जल नल रेखा का नाम) कोई
सरंचना/इमारत बना ली/पुनः बना ली हैः	
	के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, पिको इस सूचना प्राप्ति केदिन के अन्दर उसे गिराने की खेम और खर्चे पर हटा दिया जाएगा।
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मृहर)

## प्ररूप संख्या - 40 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 254 के अधीन सूचना

सेवा में,				
महोदय/	महोदया,	,		
	यह सूचि	वेत किया जाता है कि-		
	*(क)		भूमि नालियां और पाइप अच्छी हालत में नहीं हैं,	÷
	*(ख)	आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत नाली/मलनाल कनेक्शन /संचार साधन नहीं हैं।	े/भूमि के (नाली/मलनाल को विनिर्दिष्ट करें) बीच कोई	
बनांए र	2006 क खी जानी	ज 41) की धारा 254 के अनुसरण में, आपक	मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधि ो सूचना देता हूं कि उक्त नालियां और पाइप अच्छी ह नेकास कारगर रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निम्न दिनों के अन्दर किया जाना चाहिएः	हालत मे
	(1)			
	(2)			
	(3)			
			भवदीय,	
	बोर्ड काय		मुख्य अधिशासी अधिकारी ———िकेर्	
			छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)	
(*जो आ	वश्यक न	हो, उसे काट दें)		

## प्ररूप संख्या - 41 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 261 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में	,		
महोदय	ग/महोदया,		
	अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह बात लाई है ी	के-	
	*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली	भूमि में	सीमा दीवार/
	झाडबन्दी/बाड़ अनुपयुक्त/असुन्दर/याक्षेप योग		
		भूमि पर नीचे	वे विनिर्दिष्ट सामग्री
	वर्णन आकार की सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाः		
	*(ग) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली		सीमा
	दीवार/झाडबन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में ब	नाए रखना आवश्यक है।	
		मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूं कि इस	
*(क)	पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़	· हटा दी जाए।	
*(ख)	पूर्वोक्त भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वर्णन	ा/आकार की सीमा* दीवार/झाडबन्दी/ बाड़ का संनिग	र्माण किया जाए।
 (यहां स	तामग्री, वर्णन या आकार के बारे में विनिर्देश दें)	 I	
*(ग)	पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़	को अच्छी हालत में बनाए रखा जाए।	
		भवदीय,	
छावनी	। बोर्ड कार्यालय	 मुख्य अधिशासी अधिकारी	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		छावनी बोर्ड	5
	·	(बोर्ड की मुहर)	
(*जो अ	गावश्यक न हो, उसे काट दें)		

#### प्ररूप संख्या - 42

#### छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

### की धारा 262 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
बोर्ड की राय है कि, आपके स्वामित्व/अधिभोग को	ा वाली भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों (यहां कारण बताए) कारण से गिराना/छांटना/
शाखाओं का कतरना आवश्यक है,	
2006 (2006 का 41) की धारा 262 के अनुसरण में, आ	ार्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, पको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिरा दिया/छांट दिया/शाखाओं को
(प्राधिकारः- छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)

#### प्ररूप संख्या - 43

### छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 264 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	ह स्वामित्व/ अधिभोग वाली स्थित खदान का
•	र्दिष्ट करें)। पडोस में निवासी/जाने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है/न्यूसेंस
अतः, अब मैं,छाव	वनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम,
(यहां उठाए जाने वाले कदमों को यहां विनिर्दिष्ट क	
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)

# प्ररूप संख्या - 44 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 280 के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/	/महोदया,	
	बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि, बोर्ड द्वारा मंजूरी की गई ॥पके स्वामित्व/अधिभोग वाला स्वास्थ्य/सम्पत्ति के लिए खतरा हो जाएगा।	-
	अतः, अब मैंछावनी बोर्ड के मुख्य अधि (2006 का 41) की धारा 280 के अनुसरण में आपके से लिए उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/अभिवृत्तियां/सुधार करें।	ो सूचना देता हूं कि पूर्वोक्त स्थान का उपयोग
(यहां वि	केए जाने वाले परिवर्तनों, अभिवृत्तियों और सुधार के ब्यौरे दें।	
(प्राधिक	गरः छावनी परिषद के संकल्प संतारीख	)
		भवदीय,
<del></del>	बोर्ड कार्यालय	
••••	बाड कायालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
		(बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 45 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सवा म,	
महोदय/महोदया,	••••
	. की लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया था कि छावनी के गे छतें और बाहरी दीवारें, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना बनाई नहीं
जाएगी या घास, चटाईयां, पत्तियों या अन्य जलनशी	ल सामग्रियों से न तो बनाई जाए और न नवीकृत की जाएं, और
अपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखि	बेत अनुज्ञा के बिना, अपनी झोंपड़ी/इमारत की छत/दीवार (दीवारों) का
नवीकरण घास, चटाईयां, पत्तियों या अन्य जलनशील	न सामग्री से किया है,
अतः, अब में, छावनी अधिनियम, 2006	(2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए मैं	छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की
	वना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर अपनी झोंपड़ी/इमारत की
छतों/दीवारों को हटा दें।	•
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	 मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
	प्ररूप संख्या - 46
छावनी र्आ	धेनियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 292	2 की उपधारा (2) के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया	
आपकी झोंपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारे	रं/छत (छतें), मुख्य अधिशासी अधिकारी की मंजूरी से/के बिना घास,
चटाईयों, पत्तों	• •
और मुख्य अधिशासी अधिकारी की यह	राय है कि आपकी झोंपड़ी/इमारत की बाहरी (दीवारों)/छत (छतों) को

जलनशील पदार्थो से बना होने के कारण हटाया जाना चाहिए,

अतः, अब मैं	छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम,
2006 (2006 का 41) की धारा 292 की	उपधारा (2) के अनुसरण में, सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से
	दिन के अन्दर, आपको झोंपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छतें हटा दी जाए।
आपको, और यह सचना भी दी	जाती है कि, उक्त सामग्री की मूल लागत के रूप में र. का
	दिन के अन्दर बोर्ड के कार्यालय से लिया जा सकता है।
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*जो भी आवश्यक न हो, उसे काट दें)	
**यहां अनुपालन के लिए उचित अवधि लि	खें)
.63	• •
	प्ररूप संख्या - 47
ह	ब्रावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
	की धारा 297 के अधीन सूचना
सेवा में,	
,	
महोदय/महोदया,	
गहायमगहायमा,	
मरूय अधिशासी अधिकारी द्व	, ,,,वनी बोर्ड की यह राय है कि, आपके स्वामित्वाधीनभागतः/ स्वामित्वाधीन
	/गड्ढा/किनारा/वृक्ष (जो इससे उपाबद्ध सारणी में वर्णित है) जर्जर हालत में है और
पड़ोस में होकर जाने वाले/काम करने वाले	
अतः, अब मैं,	छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम,
2006 (2006 का 41) की धारा 297 के	अनुसरण में, सूचना देता हूं कि,***
को/के इस सूचना की प्राप्ति की तारीख	से दिन के अन्दर, हटाया जाए/उसकी
मरम्मत संरक्षा की जाए, ऐसा करने में चूव	n करने की दशा में उक्त कार्य, छावनी बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्चे पर किया
जाएगा।	
	भवदीय,
0 2 0 0	
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी

संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*किराएदार की दशा में ''आपके'' शब्दों का लोप किया जाएग	гі
**जो लागू न हो, उसे काट दें।	
***यहां स्वामी/किराएदार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई	विनिर्दिष्ट करें)
,	,
गरूप गं	ख्या - 48
	2006 (2006 का 41)
की धारा 298	के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
यह देखा गया है कि इमारत सं	/खाली प्लाट सं
	के कारण अधिभोग में नहीं है, और निकम्में/विच्छ्रखल
	के दृश्यमान साधन नहीं हैं/जो अपनी बावत समाधानप्रद लेखा
	े लेये, अनैतिक प्रयोजनों के लिये या (अन्य प्रयोजन) के लिये काम
में लाई जा रही है और या उसके कारण न्यूसेंस होना संभाव्य है	
अतः, अब मैंछावनी बोर्ड के	मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम,
2006 (2006 का 41) की धारा 298 के अनुसरण में, आ	पको सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से
	, उक्त इमारत सं खाली प्लाट सं.
को सुरक्षित करने और बाड़ा लगाने की सूच	
	ू भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें।	

\*\*जो लागू न हो, उसे काट दें)।

# प्ररूप संख्या - 49 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 308 के अधीन सूचना

सेवा में,			
महोदय/महोदया,			
बोर्ड ने, नीचे सारण	गी में विनिर्दिष्ट कार्य को (जिस <u>े</u>	इसमें इसके पश्चात्, उक्त कार्य कहा गया ह	है) अपने हाथ में ले लिया
है, और उक्त प्रयोजन के लि	ए बोर्ड की ओर से उक्त कार्य	को कर रहे अधिकारियों, कर्मचाारिवृन्द	स और कर्मकारों के लिए
प्रवृत्ति विनिर्दिष्ट करें) उ	अर्थात मिट्टी, बजरी आदि	जमा करने के लिए उक्त संवर्ग	तक पहुंचने के लिए
	लेए प्रवेश करना आवश्यक है,		(यहा काइ अन्य
अतः, अब मैं,	छावनी बोर्ड	के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत	ा से, छावनी अधिनियम <u>.</u>
2006 (2006 का 41) की ध	ग्रारा 308 के अनुसरण में, आप <sup>्</sup>	को सूचना देता हूं कि, बोर्ड के अधिकारी क	र्मचारिवृन्द और कर्मकार
पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, त	गरीख		(यहां तारीख विनिर्दिष्ट
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	को आपकी भूमि में प्रवेश करेंगे। आपसे व	-
भाग में बाड़ लगा लें जिससे	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
सकें।			
(सारणी निर्दिष्ट काम के विव	रण के साथ)		
		भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय		मुख्य अधिशासी अधिकारी	-
संख्या		छावनी	बोर्ड
तारीख		(बोर्ड की मुहर)	

#### प्ररूप संख्या - 50

### छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 320 के अधीन सूचना

सेवा में,			
विषय	: छावनी बोर्ड द्व	शरा जारी सूचना का अनुपालन न होन	ना।
महोदय/महोदय	Т,		
(नियम/उपनियः	छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का म का विवरण) के अन्तर्गत इस का की सूचना/आदेश जिस	र्यालय के पंजीकरण सं	दिनांक
	ई का विवरण) का निर्देश दिया गया था, ः		
	आपके द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 । अपील, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश		
का इस सूचना	भव आपको छावनी अधिनियम, 2006 (2 की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अनुपालन खिम और खर्चे पर किया जाएगा।		
	वनी बोर्ड संकल्प संरी किया गया था)।	तारीख, य	ादि सूचना/आदेश/मांग बोर्ड के
		भवदीय,	
छावनी बोर्ड का	र्यालय	मुख्य अधिशासी अधि	धेकारी
संख्या		₹	
तारीख		(बोर्ड की मु	<u>(</u> हर)

# MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

**S.R.O. 10(E).**— The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (I) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) and in supersession of the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by the said section 346 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

#### **Draft Rules**

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
  - (b) "Form" means Form annexed to these rules.
  - (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Form of notices.**—All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.
- 4. Manner of service of notices. Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented-
  - (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person;
  - (b) if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.
- **5. Application of provision of sections 316 to 321.** The provisions of section 316 to 321 of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

F. No. 14(1)/2016-D(Q&C)]

#### FORM No. 1

# Public notice under section 76 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

	list as required under section 76 having been duly given on
	that the Chief Executive Officer will commence hearing of
	date (There
should be at least thirty day's gap between the date of publi	ication of notice and date of hearing).
	inent places as required under section 319 of the Cantonments
Act, 2006.	
1	
2	
3	
4	
5 6	
0	
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
	M No. 2
	ander section 76 of the ct, 2006 (41 of 2006)
То,	
Subject: Revision of Assessment list-Reg.	
Sir/Madam,	
Executive Officer has prepared a new Assessment list	
	ased from Rs per will be considered by Chief Executive Officer on

2.	If you have any objection to the above assessment, you should make the same in writing before
3.	Any objection received from you after
by the C	Chief Executive Officer.
Office of	of the Cantonment Board
No	
Dated	
	Cantonment Board
	(Seal of the Board)
Details	of Assessment / Valuation
0	
	FORM No. 3 Notice under sub-section (2) of section 79 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)
То,	
a: a.c. 1	
Sir/Mad	am,
specifie	Whereas it has become necessary to amend the assessment list in the following manner and on the grounds d below:
(a)	By inserting/omitting the name (s) of Shri/Smt/Km
(b)	By inserting/omitting the property known as
(c)	By altering the assessment of property know as
(d)	On re-valuation/re-assessment, the value of the property know as
(e)	By changing the name of the occupier from Shri
	, where the tax in payable by the occupier;
	ase take notice that if you have any objection to above amendments, you should submit your objection to the xecutive Officer before

(The time limit stated should not be less than 30 days from the date of notice).

Office of the Cantonment Board	Yours sincerely,
No	Chief Executive officer
Dated	Cantonment Board
	(Seal of the Board)
	FORM No. 4
Notice u	under section 82 of the
Cantonme	nts Act, 2006 (41 of 2006)
To,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonment	Board,
Sir/Madam,	
(The time limit for giving such notice is 30 days from earlier).	m the date of completion or occupation of the building, whichever is
Dated	
	Yours sincerely,
	Signature
	Name
	Address

#### FORM No. 5 Notice under section 86 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonment Board,	
Subject:-Notice of vacancy of property known as	
Subject Notice of Accurey of property known as	
Sir/Madam,	
I/We hereby give notice under section 86 of	the Cantonments Act, 2006 that the property*
	erty) mentioned above is lying vacant and has become
unproductive of rent since	day of 20
This was also also as a second	
This may please be noted.	
Dated	Yours sincerely,
	Signature
	Name
	Address
(*Here mention the particulars of the vacant portion of property.)	
FORM No Notice under sectio	
Cantonments Act, 200	
To,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonment Board,	
<b>Subject:</b> - Re-occupation of the property known as	
Subject Re-occupation of the property known as	
Sir,	
I/We hereby give notice under sub-section (1) of section	
property* / (portion of with affect from the	
with effect from the	uay 01 20

(The time limit for giving such notice is within 15 days of such re	e-occupation)
Dated	Yours sincerely,
	Signature
	Name
	Address
(*Here mention the portion of property.)	
FORM No	o. 7
Notice under sub-section (2	
Cantonments Act, 200	96 (41 01 2006)
To,	
Sir/Madam,	
	(s) listed below were seized from you on the
for non-payment payable by you;	
And whereas you have failed to deposit Rstax/Toll on the said goods/vehicle (s)/animal (s).	towards Octroi/Terminal
Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section the Chief Executive Officer of the	shall be sold by auction on the day of
Rs due from yo	
goods/vehicle (s)/animals (s) listed below.	
Take further notice that in addition to the amount expenses occasioned by seizure, custody and sale of the said goo you unless the said amount and expenses, are paid by you before	
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No Dated	Cantonment Board (Seal of the Board)
Dated	(Sear of the Dould)
List of goods/vehicle	(s)/animal (s)
1	
2 3	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### FORM No. 8 Notice under sub-section (1) of section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То,	
Sir/Madam,	
Whereas it is necessary to have information for the p	ourposes of ascertaining the tax liability/the amount to be
assessed/the annual value of the building/land know as	occupied by you;
Now, therefore, I, as the Chief Executive Officer of	f Cantonment
Board, hereby call upon you to furnish the necessary information	on in the proforma overleaf in respect of property know as
within 15 days fr	
information within 15 days or furnishing of information which	
·	·
make you liable for punishment with fine which may extend to	
Act and the tax liability/the amount to be assessed/the annual	I value of the building/land will be decided as the Chief
Executive Officer may deem proper. The assessment so made sl	hall be final.
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No  Dated	Cantonment Board (Seal of the Board)
Dated	(Sear of the board)

# Information to be furnished under section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

- 1. House No. Road and locality.
- 2. Name and address of the owner.
- 3. Date of inheritance/purchase.
- 4. Price paid for the property/
- 5. (a) Whether Kutcha or Pucca,
  - (b) Covered area.
- 6. Number of Storeys.
- 7. Number of rooms of every description in each storey, with dimension including stores, kitchen and bathrooms.
- 8. (a) Whether used for residential or commercial purposes;
  - (b) Is the building used for running a hotel, college, school, hospital or factory? If so, please give full particulars.
- 9. If any portion (s) has been let out, the name (s) of tenants, the accommodation let out to each and the monthly rent.

- 10. Whether the house is:
  - (a) Electrified.
  - (b) Has a domestic water connection.
  - (c) Sanitary latrines.
- 11. is the house assessed for state government's property tax and if so what is the assessment fixed by the Excise and Taxation officer and the date from which it is effective.

Signature of owner/occupier/tenant

#### FORM No. 9 Notice under clause (a) of section 136 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	ns Act, 2000 (41 01 2000)
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that:	
*(1) a cesspool in you building/land #closing;	is causing a nuisance and it needs
*(2) The receptacle to collect filth in your building/clean condition/sewage is accumulating on your land/b	land # is not kept in a
	atrine/urinal/sink/bathroom or any other offensive matter on your is causing a nuisance to the neighbours and persons passing
*(4) Rubbish or offensive matter has been allow	red to accumulate or remain under it/on your building/land #
136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief E	xecutive Officer of the
	ne cesspool/to keep the receptacle clean/ to rectify accumulation of
• •	e public land for provide a <u>pucca</u> cesspool/to remove the rubbish/to
provide proper covering/repair/cleanse within	days of receipt of this notice.
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(*Strike out whichever is not necessary.	
#Fill in the particulars of the building or land.	) . f (' 12¢)
**Here mention the respective sub-clause of clause (a)	) of section 136)

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

#### FORM No. 10 Notice under clause (b) and clause (c) of section 136 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,			
		······	
Sir/Madam	Sir/Madam,		
Whereas it	is noticed that:		
	ng or altering any drain in your building/ n should be stopped;	land # leading into a	
*(2) the dra	ain in your control is not clean/requires repair	ir/to be altered/ to put in good order;	
Chief Exec	cutive Officer of the	)/clause*(c) of section 136 of the Cantonments Act, 2006, I, as the	
		Yours sincerely,	
No	ne Cantonment Board	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)	
	e particulars of the building or land. whichever is not necessary.)		
	Notice under sub-s	ORM No. 11 ection (1) of section 137 of the s Act, 2006 (41 of 2006)	
То			
•••			
Sir/Madam	ı,		
well/tank/re		Health Officer Cantonment Board, the my other receptacle or place in your property known as#	
where wate	er is stored/accumulated, is creating nuisance	e and likely to be a breeding place for mosquitoes.	
No	ow therefore, in pursuance of sub-section	(1) of section 137 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief	

of the receipt of this notice.	
(Authority: Cantonment Board resolution No	dated )
	. dated
(# details of the property)	
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board NO	Chief Executive Officer Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
FORM	I No. 12
·	a) of section 138 of the
Cantonments Act	, 2006 (41 of 2006)
То	
Sir/Madam,	
	g/house# owned/occupied by your requires to be
provided with latrine/urinal/cesspool/dustbin/recepta	cle for filth, sewage or rubbish/additional
latrine/urinal/cesspool/receptacle;	
Now therefore, in pursuance of section 138 of the	Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of
the Cantonment	Board, hereby give you notice that the(here
specify the requirement as to latrine/urinal/cesspool etc.)	should be provided in the aforesaid land/building/house
owned/occupied by you as per the specifications mentioned l	below.
1 77 1	
(Here specify the manner in which the	latrine/urinal/cesspool etc. be provided for)
(# details of the property)	
	Yours sincerely,
	•
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board)

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 55

#### FORM No. 13 Notice under section 139 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To			
	Chief Executive Officer,		
	Cantonment Board		
Sir/Mac	lam,		
	I, as an employer of the		(here specify the name of the
establis	hment) hereby give your notice under section	on 139 of the Cantonment Act,	2006 that with effect from the
	day of 20 I am empl	oying persons as em	ployees in the aforesaid (name of
the esta	blishment)located at	in the	. Cantonment.
		Yours sincerely,	
Dlago		Signatura	
		Name	
		FORM No. 14	
		der section 140 of the ts Act, 2006 (41 of 2006)	
То			
Sir/Mad	dam,		
	Whereas it is noticed that:		
*(1) The private latrine/urinal owned by you/under your control shall not hereafter be put to public use;  *(2) The private latrine/urinal proposed to be constructed/repaired by you shall not be constructed/repaired, unless it has been inspected by the Chief Executive Officer or official of the Board authorized by the Chief Executive Officer (here mention designation of inspecting official of the Board) and certified that the said latrine/urinal is in conformity with the plan approved by the			
	<ul><li>(a) Is open to view of persons passing by/dw</li><li>(b) Needs cleansing in the manner specified</li></ul>		
(5) (Here S	The drain owned/controlled by you is uncoverpecify the manner of covering required).	red and requires to be covered in t	the manner specified below:
Logth	Now, therefore, in pursuance of clause \$		0 of the Cantonments Act, 2006,

	1** within days of the receipt of this
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(* Strike out matter whichever is not necessary.	
\$ Here specify the clause.	
** Fill in the particulars of the building or land.)	
	FORM No. 15
	section (3) of section 142 of the
Cantonmer	ats Act, 2006 (41 of 2006)
То	
Sir/Madam,	
Whereas on the hasis of the report of the (	Committee constituted under sub-section (1) of section 142 of the
<del>_</del>	Cantonment Board is of the opinion that the building (s)
	ble below is/are likely to cause risk of disease to the inhabitants of
the building (s)/ neighbourhood/endanger the public h	
Ant whereas the board is satisfied that it is no	ecessary to remove the said building (s) immediately;
Now therefore in pursuance of sub-section	(3) of section 142 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
-	
said building (s) to be removed within day.	
said suitaing (s) to se removed within day	s of the recorpt of this house.
(Authority: Cantonment Board Resolution No	. dated)
	Yours sincerely,
	,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

#### **TABLE**

(Here give the particulars of the building (s) in question).

#### FORM No. 16 Notice under sub-section (1) of section 143 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To		
Sir/Mac	dam,	
	Whereas in the opinion of the Board, b	ouilding (s) or
part of	building (s)	used as dwelling house is overcrowded and endangering the health
of the o	occupants thereof.	
	ve Officer of the	ction (1) of section 143 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
the nun	nber of lodgers/tenants/other inmates by *	* and abate the over-crowding in the
		ve requisition, you will be liable to prosecution under sub-section (2) of
section	143 of the said Act.	
(Author	rity: Cantonment Board Resolution No	dated)
		Yours sincerely,
Office of	of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
		Cantonment Board (Seal of the Board)
Dated.		(Seal of the Board)
(*Herea	after specify the details of lodgers/tenants/o	other persons whose number is to be reduced)
	Notice under s Canton	FORM No. 17 sub-section (1) of section 144 of the ments Act, 2006 (41 of 2006)
То		

Sir/Madam,

	is in a state of dis- repair/dilapidated/in an
insanitary state and required to be repaired/altere	ed as specified below:
1	
Now, therefore, in pursuance of sub-se	ection (1) of section 144 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the	
execution of the aforesaid repairs/alterations sho	uld be carried out within days of the receipt of this notice.
(Authority: Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board)
	FORM No. 18 r sub-section (1) of section 145 of the nments Act, 2006 (41 of 2006)
То	
Sir/Madam,	
Whereas the land/building	owned/ occupied by you* is
in a insanitary/filthy/unwholesome state,	
persons in the neighbourhood,	* is a nuisance to
* is overgrown with prickly-pear / rank / noisom	e vegetation;
Now, therefore, in pursuance of sub-se	ection (1) of section 145 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the	

said land/building (s)	owned/ occupied by you should be cleansed/lime-washed
internally/externally/cleared and put in a proper state with	hin days of receipt of this notice.
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board)
Dated	(Sear of the Board)
(*Strike out the matter whichever is not necessary.)	
FO	PRM No. 19
	er section 147 of the Act, 2006 (41 of 2006)
Ŋ	NOTICE
	is hereby given noticed that the entire/part of prohibited to use the same until it has been rendered fit for such Cantonment Board.
(Authority: Cantonment Board Resolution No da	ated)
(# here mention details of the building)	
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
	PRM No. 20
	er section 148 of the Act, 2006 (41 of 2006)
	110, 2000 (11 01 2000)
То	
Sir/Madam,	
_	undergrowth has come up in the land/the building
	ed by you which is injurious to health/offensive to the persons
residing in the neighborhood;	

•	8 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of
	onment Board, hereby give you notice to clear away and remove
from the said land/building the vegetation/undergrow	th within days of the receipt of this notice.
	Yours sincerely,
	·
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	
Dated	(Seal of the Board)
	FORM No. 21
Notice u	under section 150 of the
Cantonme	nts Act, 2006 (41 of 2006)
To,	
10,	
Sir/Madam,	
Whereas it is necessary to have the following	ng information in respect of burial/burning ground owned by you/of
	ition, management/ position of such ground. (Herein specify the
information required)	
Now therefore in pursuance of section 150	of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of
•	tonment Board, hereby call upon you to furnish the necessary
information as required above in respect of	
•	
buriai/burni	ng ground within days of the receipt of this notice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officerCantonment Board
No  Dated	(Seal of the Board)

#### FORM No. 22 Notice under section 158 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,		
Sir/Mada	m,	
V	Whereas it has been certified by	medical practitioner, that the
		(Name)
out break	spread of infectious/contagious disea	se
		(Name of disease)
	in the Cantonment is attribut	ted to the milk supplied by you.
	_	n 158 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of Cantonment Board, hereby give you notice to furnish a full and complete
list of the	names and addresses of all your custo	omers and furnish all such information to enable me to trace the persons to
whom you	u have sold milk with in	days of the receipt of this notice.
		Yours sincerely
Office of	the Cantonment Board	Chief Executive officer
		Cantonment Board
Dated .		(Seal of the Board)
		FORM No. 23 tice under section 159 of the conments Act, 2006 (41 of 2006)
То,	Cant	minents Act, 2000 (41 of 2000)
,		
•		
Sir/Mada	m,	
		alth Officer, that with a view to prevent spread of infectious/contagious
disease		
		(Name of disease)

necessary to have the information regarding your customers;

Now,	therefore, in pursuance of section 1:	59 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of					
the	Car	ntonment Board, hereby give you notice that full and complete list of					
the names and	the names and addresses of all your customers with in the cantonment whose clothes and other articles you wash or have						
washed during	the six weeks immediately preced	ing the date of this notice, be furnished to the Health Officer within					
	days of th	ne receipt of this notice.					
	·	•					
		Yours sincerely					
Office of the C	antonment Board	Chief Executive officer					
		Cantonment Board					
Dated		(Seal of the Board)					
	Notice	FORM NO. 24 under section 162 of the					
		tents Act, 2006 (41 of 2006)					
To,							
10,							
Sir/Madam,							
Where	eas it has been reported by the Healt	h Officer that the infectious or contagious disease is caused/likely to					
	intonment						
•••••	•••••						
*(a)	from the consumption of the milk	• • •					
*(b)		es by you/process employed by you for washing of clothes or articles					
	at	(Name of the place)					
		of section 162 of					
		icer of thet t Board hereby direct that until further notice, no					
	Canconnici	t Board hereby direct that until further hotice, no					
*(a)	mills should be sumplied to one	nousen from your dainy					
*(a)	milk should be supplied to any						
<b>4</b> /1.)	W. 1 C. 1 1 / / / 1						
*(b)	manner	process for washing clothes/articles should be undertaken by you in the					
		(Name of the place) used by you for this purpose.					
		Yours sincerely					
		·					
Office of the C	antonment Board	Chief Executive officer					
		Cantonment Board					
Dated		(Seal of the Board)					

(\*Strike out the matter whichever is not necessary.)

#### FORM No. 25 Notice under section 168 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
_	on that cleansing and disinfection of your building/ part of a building/removal the building, is necessary to prevent/check spread of infectious/contagious
the	ection 168 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of
	(Herein specify the details)
(Authority Cantonment Board Resolu	tion No dated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No Dated	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
То,	FORM No. 26 under sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)
Sir/Madam,	
Whereas in the opinion of the Bo	J 1
Now, therefore, in pursuance of s	ub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the	

to destroy the aforesaid shed/hut and the materials thereof v	vithin days
of the receipt of this notice.	
(Authority Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
Notice under sub-sectio	A No. 27 on (2) of section 169 of the t, 2006 (41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
	I am satisfied that the destructions of shed/hut at occupied by you is immediately necessary for the purpose of
of the	section 169 of the Cantonments Act, 2006, I, as the President Cantonment Board, hereby give you notice that the said ediately. In case of your failure to destroy the said shed/hut, it
will be destroyed by the Board within **	hours of the receipt of this Notice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	President
No	Cantonment Board (Seal of the Board)
(*Strike out the matter whichever is not necessary.) (**Here mention the period not less than two hours).	
FORM	A No. 28
	section (1) of section 176 of the t, 2006 (41 of 2006)
To,	(11 01 2000)
Sir/Madam,	
	n *well/tank/ (other
place) owned by you/under your control atif u	sed for drinking, will endanger/cause the spread of disease.

	Now, t	herefore.,	in pursi	ance of	clause	(b) of s	ub-sectio	on (1)	of section	on 176 of the	Cantonm	ents Act, 2	2006 (41
of 2006	), I, as th	ne Chief E	executive	Officer	of the .								
		•••••		C	antonn	nent Boa	ırd, here	by give	e you n	otice to adop	t the follo	owing mea	sures to
prevent	the	public	from	using	the	water	from	the	said	'well/tank/	(other	place)	within
						*hours	s/days fr	om the	date of	receipt of thi	s notice.		
	(Here 1	mention th	ne measu	ires to be	under	taken).							
	(1) (2)												
	(3)												
										Yours sincer	ely		
		intonment								xecutive offic			
No Dated			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•	•••••	Cantonmen (Seal of the			
(*	Strike o	out the ma	tter which	chever is	not ne	cessary.)							
						FΩI	RM No.	20					
						ce unde	r section	ı 177 o					
To,				(	Canto	nments A	Act, 200	6(41 0	1 2006)				
			•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••						
Sir/Mad	lam,												
		as it ha									•••••	has die	d from
Chief E		herefore, Officer of								of the Canto	onments A	act, 2006,	I, as the
	*(a)	to conv	ey the sa	ime to a	mortua	ry at							
	*(b)			e corpse		_	_		ıg *bur	ried/burnt/cor	iveyed to	a mort	uary at
		••••••		•••••	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••					
										Yours sincer	ely		
		intonment								xecutive officCantonmen			
Dated										the Board)	i Doalu		

(\*Strike out the matter whichever is not necessary.)

#### FORM No. 30 Notice under sub-section (1) of section 182 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То,				, ( , ,		<i></i>					
Sir/Mada	am,										
	Wherea	as there are sufficient reas	sons to believe that you	are su	ıffering	g from an	infectio	ous/ conta	gious	disease;	;
	Now, tl	herefore, in purstiance of	sub-section (1) of sect	ion 1	82 of t	the Canto	nments	Act, 200	6, I, a	s the H	ealth
Officer/N	Medical	Officer-in-charge of the .									
		Hospital of	the					C	antoni	ment Bo	oard,
hereby g	ive you	notice to present yourself	f for a medical examina	tion a	ıt						
			Hospital/Dispensary	on	date	at(hrs.).	You	should	not	leave	the
hospital/	dispensa	ary without the permission	n of the Medical Office	r-in-C	Charge.	•					
						Yours	sincere	ely			
Office of	f the Car	ntonment Board				th Officer					
					Medi	ical Office			1		
Dated	•••••	•••••				(Seal)		Но	spitai,		
						, ,					
			FORM No.	. 31							
			Notice under section		of the	:					
То			Cantonment Act, 200	6 (41	of 200	<b>(6)</b>					
To,											
	••••••		•••••								
Sir/Mada	am,										
	Wherea	s the			sour	ce (name	of well	etc.) of p	oublic	water su	upply
which is		drinking purposes in				•		, 1			
OW	vned by	you/ under your control is					•••••				
	*(a)	not in good order/ not	cleared of silt/ refuse.	/ deca	aying v	vegetatio	n;				
	*(b)	required to be protecte	ed from contamination			_					
	*(c) the	water is unfit for drinking									
		herefore, in pursuance of s						thief Exec	cutive	Officer	of the
•••••			Cantonment B	oaru,	nereby	give you	nouce:				

\*(a) to \*keep the aforesaid \*well/water supply in good order/ clear it of \* silt./ refuse/ decaying vegetation

*(b)									
	specify the manner to be adopted to prevent contamination) (Here								
*(c)	that the public should be prevented from having access to using the water from the aforesaid * well/ water supply in the manner specified below:								
		Yours sincerely							
Office of the Ca	intonment Board	Chief Executive officer							
No Dated		Cantonment Board (Seal of the Board)							
(*Strike o	out the matter whichever is not	necessary.)							
		FORM No. 32 Notice under section 192 of the notonment Act, 2006 (41 of 2006)							
То,	Cui	(41 01 2000)							
Sir/Madam,									
	as it appears that the building proper supply of pure water;	/land Owned/ occupied by							
	•	ion 192 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of Cantonment Board, hereby give you notice as the owner/ occupier							
		should be							
provided with c	communication pipes of the size	ze and description specified below and for obtaining sufficient quantity of							
		(Here specify the source of public water supply) for the							
		ilding/ employed upon the said land:							
		cription of the communication pipes).							
		Yours sincerely							
	antonment Board	Chief Executive officer							
No Dated		Cantonment Board (Seal of the Board)							

#### FORM No. 33 Notice under clause (a) of section 195 of the Cantonments Act, 2006(41 of 2006)

To, The	*Officer
<b>T</b>	
	ursuance of clause (a) of section 195 of the Cantonments Act, 2006, I, as the owner/occupier /lessee of the
	g
This	s may please be noted.
	Yours sincerely
_	Signature Name Address
(* Designatio	on of the Officer.)
То,	FORM No. 34 Notice under clause (c) of section 195 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)
Sir/Madam,	
Whereas, you	ı have-
(a)	Neglected to pay the water tax/water rates**
(b)	Refused to admit/prevented the undersigned/
(c)	Willfully/negligently misused/caused waste of water in the land/building owned/occupied by you;
(d)	Willfully/negligently injured/damaged the meter/pipe/tap conveying water from the water works to the land/building owned/occupied by you;
(e)	The pipes/ taps/ works/ fittings connected with the supply of water to the land/building owned/occupied by you are out of repair and causing waste of water.

(\*\* Specify the nature of charges.)

[भाग Ⅱ-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 69

Now, therefore, in purs	suance of clause (c	) of section 195	of the	e Cantonments	Act, 2006, I, as	the Chief
Executive Officer of the			C	antonment Boa	ard, hereby give ye	ou notice
that the water supply to	the aforesaid	land/building	is b	being turned	off/disconnected	within
	da	ys of the receipt	of this r	notice.		
				Yours since	rely	
Office of the Cantonment Board No				Executive officeCantonment		
Dated			•••••	(Seal of the		
		FORM No. 35				
		nder section 242		6)		
То	Cantonmer	nts Act, 2006 (41	01 200	0)		
The Chief Executive offic Cantonment Board,	er,					
In pursuance of section 2	242 of the Cantonme	ents Act, 2006, th	is is to	inform you that	I/We have comple	ted
erection/re-erection of the building	ıg, known as	as p	er sanc	tion given by th	ne Board under Res	olution
No dated	your letter No	dated		refers.		
This may please be noted	d.					
(This notice should be given by the	ne party within 30 da	ays from complet	ion of e	rection/re-erect	tion of building)	
				Yours since	rely	
Place			Signat	ture		
Date			Name			
			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		FORM No. 36				
	Notice under sub-	-section (1) of section (4) of section (4)				
To,	Cantonne	its Act, 2000 (4)	01 200	(0)		
Sir/Madam,		•••••				
			41- 1	11.11	4 i 41 : 0 1 : 1 1	11 .
Whereas it is consider				• .		
(hereinafter referred to as the s	•	•	en on le	ease by you, co	onstitute an offence	e under
section 247 of the Cantonments	Act, 2006 (41 of 20	006);				
Now, therefore, in exerc	ise of the powers co	nferred by sub- s	ection (	1) of section 24	48 of the Cantonme	nts Act,

		•	ould be stopped, the *erection/re- erected in the manner specified in	•
		_		
(*Strike out whiche	ver is not nece	essary.)		
<b>(</b>		SCHEDULE		
Name of the Building	Locat	ion of the Building	Details of construction as undertaken by owner/ Occupier/lessee in Contravention of section 247 of the Act	Specification to demolition and re- n erection of the building.
1.	2.		3.	4.
	Board Resolut	tion No Dat	tedwhere the site falls out	side
Civil Area)			Yours sincerely	
Office of the Cantonment No Dated			Chief Executive officerCantonment Bo (Seal of the Board)	oard
Го,		ce under sub-section Cantonments Act, 2	(2) of section 248 of the 2006 (41 of 2006)	
Sir/Madam,				
Nodated	l 41 of 2006), u	suspended the or	nief, the Command has rder of the Board issued under d has sanctioned the * erection/restand building);	er section 238 of the
AND Whereas is	t is necessary	to stop the said *erect	tion/re-erection of the said building	o;
2006 (41 of 2006), I, as the	e Chief Executon/re-erection of	tive Officer of the of the said building,	y sub section (2) of section 248 o	Board, hereby give you
(* Strike out whiche				

#### **SCHEDULE**

		SCHEDULE				
Nameof the Building	Location of the Building	Details of construction undertaken by owner/occupier/lessee,	Manner in which the building should be demolished / altered / re-erected as per the modifications suggested by the Officer Commanding in Chief, the Command			
1	2	3	4			
			Yours sincerely			
Office of the Cantor No Dated			Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)			
		FORM No. 38				
		otice under section 252 of the tonments At, 2006 (41 of 200				
To,	Cun	tomments 11t, 2000 (41 of 200	<b>o</b> )			
Sir/Madam,						
Whereas you constructed the following	_	_	Chief Executive Officer has erected /			
(1)						
(2)						
	e specify the structu	ares of the building).				
(4)						
Now, therefore, in pursuance of section 252 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive						
	•		u notice that you should demolish the			
aforesaid ** erection/ s	tructure/encroachme	nt within	days of the receipt of this notice.			
			Yours sincerely			
Office of the Canton	ment Board		Chief Executive officer			
No			Cantonment Board			

(Seal of the Board)

 $(*Projecting\ into/encroaching\ on\ the\ street/channel/drain/well/tank$ 

Dated.....

<sup>\*\*</sup> Strike out whichever is not necessary)

#### FORM No. 39 Notice under section 253 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

Го,	2000 (11 01 2000)
Sir/Madam,	
	undersigned in writing erected/re-erected a structure over [Name of the public sewer/drain/culvert/ water]
course or water pipe)in	;
Now, therefore, in pursuance of section 253 of the O	Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of
theCantonment Board, hereby	
days of the receipt of this notice	e failing which it shall be removed by the undersigned at
your risk and cost.	
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
Notice under see Cantonments Act, To,	
10,	
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that-	
*(a)the troughs and pipes for receiving	and carrying rain water from the building
land*owned/condition;	occupied by you are not in good
*(b) there is no proper connect land*owned/occupied by you and t	ion/communication between the building/ hedrain/sewer (specify the
drain/sewer)	
Now, therefore, in pursuance of section 254 of the Ca	antonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer
of the Cantonment Board her	reby give you notice that the troughs and pipes

should be kept	in good condition and to ensure suffi-	cient drainage from the said building/land the following
work should	be undertaken by you within	days of the receipt of this notice:
2		
		Yours sincerely
No	e Cantonment Board	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
	ut the matter whichever is not necessary	
То,	Notice under sub-sec	RM No. 41 etion (2) of section 261 of the Act, 2006 (41 of 2006)
Sir/Madam,		····
*(a)	s it is brought to the notice of the undersign The boundary * wall/ hedge/ fence ed by you is * unsuitable/ unsightly/ object	e in the land
*(b) wall/hedge/ fence	e of the material, description/dimensions	land*owned/occupied by you, the boundary *specified below;
*(c)	It is necessary to maintain the bounda u in good order;	ry * wall/ hedge/ fence on the land*owned/
		2) of section 261 of the Cantonments Act, 2006, I, as the intonment Board hereby give you notice that-
*(a)	The boundary* wall/ hedge/ fence of	n the aforesaid land be removed;
*(b) on the aforesaid la		ne material, description/ dimensions specified below be constructed
	ecifications as to material, description or	dimensions);
*(c)The		on the aforesaid land be maintained in good order
No Dated	e Cantonment Board  Dut the matter whichever is not necessary	Yours sincerely Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)

owned/occupied by you:-

#### FORM No 42

# Notice under section 262 of the Cantonment Act, 2006 (41 01 2006)

To,	
Sir/Madam,	
Whereas the Board is of the opinion that it is necessary	to fell/lop/trim the tree(s) standing on land
owned / occupied by you	on account of
(Here mention the reasons);	
Now, therefore, in pursuance of sub- section (1) / su	b section(2) of section 262 of the Cantonments Act,
2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the	Cantonment Board, hereby give
you notice that the tree (s) standing on your land should be f	felled/lopped/ trimmed within days
of receipt of this notice.	
(Authority: Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	
Dated	(Seal of the Board)
FORM No. 4	13
Notice under section	
Cantonment Act, 2006 To,	(41 of 2006)
Sir/Madam,	
Whereas in the opinion of the undersigned the	working of a quarry/ the removal of stone/
earth/(Here spe	ecify the removal of other material from the soil) at
owned/ occupied by you	is dangerous to the persons residing in/ frequenting the
neighborhood and creates/likely to create nuisance;	
Now, therefore, in pursuance of sub- section(1) of section 2	64 of the Cantonments Act,2006,I, as the Chief Executive
Officer of the	rd, hereby give you notice that the following steps should
be taken by you to prevent danger/ abating, nuisance arising/likely	to arise at

(Herein specify the steps to be	e taken)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
Notice under Cantonment A	RM No. 44 e section 280 of the act, 2006(41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas the Board is satisfied that the use of pla	ace known as
owned / occupied by you for the nuisance/ likely to be dangerous to life/ health/ property	ne purpose of under licence granted by the Board is a sy;
	the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of eve you notice that the use of the aforesaid place should be
•	of20/to effect the following alterations/20to render it free from any nuisance/
(Here give details of alterations, additions and imp	provements to be undertaken).
(Authority: Cantonment Board Resolution Noda	ted)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)

#### FORM No 45

Notice under sub-section (1) of section 292 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

10,	
Sir/Madam,	
roofs and external walls of huts/buildings sha	it was directed by the Chief Executive Officer that the ll not, without the permission in writing of the Chief grass, mats leaves or other inflammable materials in Cantonment; and
Whereas you have renewed the roof/wall (material, without the permission from the Chief Execu	s) of your hut/building with grass/mats/leaves, inflammable utive Officer in writing.
_	ion 292 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief Executive ment Board, hereby give you notice that the roof/walls of your freceipt of this notice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No Dated	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board
FC	ORM No. 46
	b-section (2) of section 292 ents Act, 2006 (41 of 2006).
Sir/Madam,	
Whereas the external *walls/roof (s) of your *l inflammable materials *with/Without the sanction of the	nut/building is made of grass/mats/leavese Chief Executive Officer;
should be removed being made of an inflammable Mate	f the opinion that the external walls/roof (s) of your hut/building rial; (2) of section 292 the Cantonments Act, 2006, as the Chief
	.Cantonment Board, hereby give you notice that the external n ** days from the date of receipt of this
	towards the original cost of the said material
•	may be collected from the office of the Board
within**Days.	Yours sincerely

Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board
(*Strike out the metter whichever is not necessary	
(*Strike out the matter whichever is not necessary.  **Here give the reasonable period for compliance).	
FORM Notice under sect	
Cantonments Act, 2	
To,	
Sir/Madam,	
Whereas in the opinion of the Chief Executive Office building/wall/well/tank/reservoir/pool/depression/excavation/towned/partly owned/occupied by you is in ruinous, state an working in the neighbourhood**.	bank/tree (described in the Table attached herewith)
Now, therefore, in pursuance of section 297of the Carthe Cantonment Board, hereby give you notice that /protected /enclose withindays from the date of shall be undertaken by the undersigned at your risk and cost.	_
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board
	`
(*In case of tenant the word 'your' shall be deleted.  ** Strike out whichever is not applicable.  ***Herein specify the action required on part of owner.	er/tenant).
FORM N	No. 48
Notice under sect	ion 298 of the
Cantonments Act, 2	2006 (41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that your building No	/ Vacant plot
No has by reason of disuse/disputed	d ownership/
has remained unoccupied and has become the resort of idle and	I disorderly person/persons who have no ostensible means

of subsistence/persons who cannot give a satisfactory account of themselves/is used for gaming/immoral purposes or

for	(other purpose)*	and/or is likely to occasion a
nuisance. **		
	n pursuance of section 298 of Cantonments AcCantonment Board, hereby give you notice	
	Vacant Plot Nowith	_
notice.		, ,
		Yours sincerely
Office of the Cantonment No		ief Executive officerCantonment Board
Dated		eal of the Board
(*Herein specify the other whichever is not applicable)	* *	
	FORM No. 49 Notice under section 308 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 20	
То,		
Sir/Madam,		
work) and for that purpose behalf of the Boa	ard has undertaken the work specified in the test, it is necessary for the officers, staff and the rd to enter on your land	workmen executing the said work onfor the purpose of
(Here specify the	e nature of materials such as soil, gravel etc.)	
or of obtaining acces	ss to the said work(Here specify any other	er purpose).
the workmen of the	n pursuance of section 308 of the Cantonments A Cantonment Board, hereby g Board shall enter into your land	give you notice that the officers, staff and the d for the purpose aforesaid on
(Here specify the da	te not earlier than three days from the date of pro	oposed entry)
	day of	20
and request you to (Here mention the area)	fence off the aforesaid land	
owned /occupied by	you so as to enable the officers, staff and workn	nen of the Board to execute the said work.
(Table with details of	of work specified)	

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 79

Yours sincerely

Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board
FORM Notice under se Cantonments Act, To,	ction 320 of the
Sir/Madam,	
Subject: Non-compliance of Notice issued by	Cantonment Board
Sir/Madarn,	
Whereas you have failed to comply with the Nodated, issued to you under sometime / bye-law made thereunder (details of rule / byelaw) directly required to be taken by the person in default)	
* As whereas the appeal under section 340(date) has been dismissed by the A	of the Cantonments Act, 2006 filed by you on appellate Authority (name the authority) vide order
(Authority: Cantonment Board Resolution Nodat notice/order/requisition was issued at the instance of	
(*Strike-out, if not applicable)	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No Dated	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board